# मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XVI | अंक 1 | जुलाई 2020


## विषयवस्तु


| खंड | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| I. | विनियमन | 1 |
| II. | भुगतान और निपटान प्रणाली | 2 |
| III. | वित्तीय बाज़ार | 3 |
| IV. | वित्तीय समावेशन | 3 |
| V. | रिज़र्व बैंक रिलिजेस | 4 |
| ❑ | रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की – जुलाई 2020 | 4 |
| VI. | अनुसंधान | 4 |
| VII. | रिज़र्व बैंक ने फेम बुकलेट जारी की | 4 |


## संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcirrbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
**संपादक**

## I. विनियमन

### एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष तरलता योजना

रिज़र्व बैंक ने 01 जुलाई 2020 को सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष तरलता योजना के तहत पात्र बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की सलाह दी:

i) माइक्रोफाइनेंस संस्थानों सहित एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत हों न कि कोर निवेश कंपनियों के रूप में;

ii) आवास वित्त कंपनियां राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत पंजीकृत हों;

iii) एनबीएफसी/एचएफसी का विनियामक न्यूनतम पूंजी और जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) / पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 31 मार्च 2019 को क्रमशः 15 प्रतिशत और 12 प्रतिशत से कम न हों;

iv) 31 मार्च 2019 को शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए;

v) पिछले दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों (यानी 2017-18 और 2018-19) में से कम से कम एक में उन्हें शुद्ध लाभ हुआ हो;

vi) 01 अगस्त 2018 से पहले पिछले एक वर्ष के दौरान अपनी उधारी के लिए किसी भी बैंक द्वारा उन्हें एसएमए-1 या एसएमए-2 श्रेणी के तहत रिपोर्ट नहीं किया गया हो;

vii) उन्हें सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश ग्रेड का दर्जा दिया गया हो;

viii) इकाई से उचित स्तर की जमानत के लिए एसपीवी की आवश्यकता का उन्हें अनुपालन करना चाहिए, जो हालांकि वैकल्पिक होगा और एसपीवी द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से एनबीएफसी/एचएफसी की तरलता स्थिति में सुधार करने की योजना को मंजूरी दी थी । अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें ।

### तनावग्रस्त एमएसएमई संकटग्रस्त आस्ति निधि

रिज़र्व बैंक ने 01 जुलाई 2020 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी थी कि इक्विटी/अर्ध इक्विटी के रूप में योजना के तहत प्रमोटरों द्वारा प्राप्त ऋणों के माध्यम से अपनी एमएसएमई इकाइयों में संचारित धन की ऋण-इक्विटी के लिए गणना की जा सकती है। चूंकि इस योजना के तहत विस्तारित ऋण सुविधाओं को सीजीटीएमएसई की गारंटी द्वारा समर्थित किया जाता है, इसलिए रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय एक विशेष छूट के रूप में लिया। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

### लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा में वृद्धि

रिज़र्व बैंक ने 06 जुलाई 2020 को वर्तमान स्थिति को देखते हुए और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा बढ़ा दी। तदनुसार, प्रत्येक लागू एनबीएफसी इस संबंध में संबंधित तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर अथवा सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के लिए सेबी द्वारा अधिसूचित की गई तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपने तुलन पत्र को अंतिम रूप देगा । अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें ।

### आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता

रिज़र्व बैंक ने 16 जुलाई 2020 को रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को सलाह दी कि वे हितधारकों के साथ अपने व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित

करने के लिए 'उचित व्यवहार संहिता' (एफ़पीसी) अपनाएं। एआरसी के लिए एफपीसी न्यूनतम नियामक अपेक्षा प्रदान करता है जबकि एआरसी के बोर्ड इसके क्षेत्र और विस्तार को और व्यापक करने के लिए स्वतंत्र हैं। एफ़पीसी का सही मायनों में अनुपालन होना चाहिए और बोर्ड को इसके विकास और उचित कार्यान्वयन में हमेशा अवश्य शामिल होना चाहिए। एफपीसी को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है और यहां क्लिक करके इसे एक्सेस किया जा सकता है।

### भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

रिज़र्व बैंक ने 24 जुलाई 2020 को निर्णय लिया कि हेजिंग के लिए सम्पन्न व्युत्पन्नी लेन-देन पर अप्राप्त लाभ/हानि का प्रतितुलन समरूप अंतर्निहित हेजिंग लिखत पर पूंजी की मान्यता प्राप्त अप्राप्त हानि/लाभ (लाभ या हानि के माध्यम से अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से) के बदले में की जा सकती है। यदि अन्य वित्तीय लिखतों पर अप्राप्त लाभ/हानि के साथ इस तरह के प्रतितुलन और निवलीकरण के पश्चात भी निवल अप्राप्त लाभ शेष है, तो इसे रिज़र्व बैंक के 13 मार्च 2020 के परिपत्र के अनुसार विनियामकीय पूंजी से बाहर रखा जाए। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें ।

## II. भुगतान और निपटान प्रणाली

### क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति

रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2020 को अपनी वेबसाइट पर प्रोफेसर डी.बी. फाटक की अध्यक्षता में गठित 'क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड के विश्लेषण के लिए समिति' की रिपोर्ट भारत में क्यूआर कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा के लिए रखी। रिज़र्व बैंक ने देश में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए 23 दिसंबर 2019 को समिति का गठन किया था। यह रिपोर्ट सभी हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियों/सुझावों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखी गई है। टिप्पणियां/ सुझाव 10 अगस्त 2020 तक या/ इससे पहले प्रेषित किए जा सकते है। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें ।

## III. वित्तीय बाजार

### भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 01 जुलाई 2020 की अपनी प्रेस प्रकाशनी में यह जानकारी दी थी कि 1 जुलाई 2020 से सीसीआईएल को रिपोर्ट किए जानेवाले विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट व्युत्पन्न लेनदेन के लिए एजेंट के रूप में सीसीआईएल को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 2019 के माध्यम से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संशोधित अधिनियम) और प्रासंगिक स्टाम्प नियम, 2019 में संशोधन किया है। भारत सरकार ने संशोधित अधिनियम पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट भी जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें ।

## IV. वित्तीय समावेशन

### वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति

रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह के तत्वावधान में सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों (भारत सरकार) और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से 2020-2025 की अवधि के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए दूसरी राष्ट्रीय रणनीति (एनसीएफई) तैयार की गई है। एनएसएफई: 2020-2025 भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के दृष्टिकोण का समर्थन करने का उद्देश्य रखती है ताकि जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके जो उनके धन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए आवश्यक हैं । रणनीति में भारतीयों की वित्तीय भलाई हासिल करने के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है ।

आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने की परिकल्पना को प्राप्त करने के लिए कुछ रणनीतिक उद्देश्यों को इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

i) वित्तीय शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाने के लिए शामिल करना;
ii) सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करना और ऋण अनुशासन विकसित करना;
iii) डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुरक्षितता और सुरक्षित तरीकों में सुधार; और
iv) शिकायत निवारण के अधिकारों, कर्तव्यों और मार्गों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

इन रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, दस्तावेजी प्रासंगिक सामग्री (स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में पाठ्यक्रम सहित) के विकास पर जोर देने के माध्यम से वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5 सी' दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में शामिल बिचौलियों के बीच क्षमता विकसित करना, उचित संचार रणनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले मॉडल के सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाना और अंत में विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना।

### एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह

रिज़र्व बैंक ने 02 जुलाई 2020 को सभी वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के रूप में उद्यमों के वर्गीकरण के नए मानदंडों से अवगत कराया। इस तरह के वर्गीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं-

i) *उद्यमों का वर्गीकरण*

एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश

एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है और कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है; लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; और मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, उसे एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ii) *वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार के समग्र मापदंड*

निवेश और टर्नओवर का एक समग्र मापदंड सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में उद्यम के वर्गीकरण के लिए लागू होगा। यदि कोई उद्यम निवेश या कारोबार के दो मानदंडों में से किसी में अपनी वर्तमान श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अधिकतम सीमा को पार करता है, तो यह उसे मौजूदा श्रेणी में नहीं माना जायेगा और अगली उच्च श्रेणी में रखा जाएगा लेकिन किसी भी उद्यम को निचली श्रेणी में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि वह निवेश के मानदंडों के साथ-साथ कारोबार दोनों में अपनी वर्तमान श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अधिकतम सीमा के नीचे न चला जाए ।

iii) *संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश की गणना*

भारत सरकार ने संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश की गणना के लिए विस्तृत मानदंड भी निर्धारित किए हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दायर पिछले वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) से जुड़े होंगे।

iv) *टर्नओवर की गणना*

वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के निर्यात को वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए किसी भी उद्यम के कारोबार की गणना करते समय बाहर रखा जाएगा, चाहे वह सूक्ष्म, लघु हो या मध्यम हो । किसी उद्यम के लिए टर्नओवर और निर्यात कारोबार के संबंध में जानकारी आयकर अधिनियम या केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम (सीजीएसटी अधिनियम) और जीएसटीआईएन से जुड़ी होगी। भारत सरकार ने 26 जून 2020 को उद्यमों को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत करने के लिए नए मानदंड अधिसूचित किए जो 01 जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें ।

## V. रिज़र्व बैंक रिलिजेस

### बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2020 को चुनिंदा 33 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से एकत्र किए गए माह जून 2020 के बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किए। वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) आधार पर, गैर-खाद्य बैंक ऋण वृद्धि जून 2020 में 6.7 प्रतिशत थी जो मई 2020 के समान ही थी परंतु यह जून 2019 के 11.1 प्रतिशत की ऋण वृद्धि से कम थी। कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों की ऋण वृद्धि में जून 2019 में 8.7 प्रतिशत की उच्च वृद्धि की तुलना में जून 2020 में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें ।

### रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2020 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की

रिज़र्व बैंक ने 24 जुलाई 2020 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफ़एसआर) के 21 वें अंक को जारी किया, जो वित्तीय स्थिरता की उप-समिति और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों संबंधी विकास परिषद (एफ़एसडीसी) के सामूहिक मूल्यांकन और वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाता है।

*रिपोर्ट से मुख्य बातें निम्ननुसार हैं :*

i. COVID-19 के जवाब में, एक अभूतपूर्व पैमाने पर राजकोषीय, मौद्रिक और नियामक हस्तक्षेपों के संयोजन ने वित्तीय बाजारों के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित किया है।

ii. अति-लीवरेज गैर-वित्तीय क्षेत्र, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, और महामारी के कारण हुए आर्थिक हानि वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के प्रमुख जोखिम हैं।

iii. COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और सरकार द्वारा किए गए कार्यों ने परिचालन बाधाओं को कम किया और गंभीर जोखिम प्रतिकूलता के समक्ष बाजार की समग्रता और लचीलापन बनाए रखने में मदद की।

iv. बैंक ऋण, जो कि 2019-20 की पहली छमाही के दौरान काफी कमजोर हो गया था, बाद की अवधि में बैंक समूहों में मंदी (मोडरेशन) के वैविध्यपूर्ण होने के साथ और गिरावट आयी।

v. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सितंबर 2019 में 15.0 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2020 में घटकर 14.8 प्रतिशत हो गया, जबकि इस अवधि में उनकी सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 9.3 प्रतिशत से घटकर 8.5 प्रतिशत हो गया और इस अवधि के दौरान प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 61.6 प्रतिशत से बढ़कर 65.4 प्रतिशत हो गया।

vi. क्रेडिट जोखिम के लिए मैक्रो तनाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि सभी एससीबी का जीएनपीए अनुपात आधारभूत परिस्थितियों के तहत मार्च 2020 में 8.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5 प्रतिशत हो सकता है; यह अनुपात अत्यंत गंभीर तनावग्रस्त परिदृश्य के तहत 14.7 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

vii. नेटवर्क विश्लेषण से पता चलता है कि अंतर-बैंक बाजार में संकुचन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बेहतर पूंजीकरण के साथ वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच कुल द्विपक्षीय जोखिम में 2019-20 के दौरान मामूली गिरावट आई; बैंकिंग प्रणाली को होने वाली संक्रामक हानि में कमी होगी।

viii. आगे बढ़ते हुए, प्रमुख चुनौतियों में समाज के बड़े हिस्से में महामारी-प्रूफिंग शामिल है, विशेष रूप से वे जो औपचारिक वित्तीय मध्यस्थता में शामिल नहीं होते हैं। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें ।

### एससीबी का बकाया ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2020 को 'त्रैमासिक सामान्य सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का बकाया ऋण, मार्च 2020' शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन अपने भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस (डीबीआईई) नामक पोर्टल पर जारी किया। इस प्रकाशन की मुख्य विशेषताओं के अनुसार, सभी जनसंख्या समूहों में बैंक ऋण वृद्धि (वाई-ओ-वाई) में गिरावट जारी रही और मार्च 2020 में यह 6.3 प्रतिशत रही; हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं ने दोहरे अंकों की वृद्धि को बनाए रखा। मार्च 2020 में दर्ज की गई मामूली 0.9 प्रतिशत की वृद्धि (वाई-ओ-वाई) के साथ कुल बैंक ऋण में औद्योगिक ऋण का हिस्सा मार्च 2020 (एक वर्ष पहले 33.1 प्रतिशत) में घटकर 31.5 प्रतिशत हो गया। हाल की अवधि में व्यक्तिगत ऋणों में मजबूत वृद्धि से समग्र ऋण विस्तार को समर्थन प्राप्त हुआ। पूर्ण प्रकाशन को पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

### एनजीएनबीएफ एण्ड आई का कार्य-निष्पादन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जुलाई 2020 को वर्ष 2018-19 के लिए गैर-सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय और निवेश (एन जी एन बी एफ एण्ड आई) कंपनियों के कार्य-निष्पादन के संबंध में डेटा का प्रकाशन अपनी वेबसाइट पर किया। डेटा प्रकाशन के अनुसार, ऋण देने और निवेश की गतिविधियों में हुई वृद्धि के आधार पर वर्ष 2018-19 में वित्त आय में 21.9 प्रतिशत की दमदार वृद्धि (वर्षानुवर्ष) दर्ज़ हुई है। 2018-19 के दौरान एनजीएनबीएफ़ एंड आई कंपनियों के तुलनपत्र में 17.6 प्रतिशत का विस्तार हुआ है जो पिछले वर्ष की 24.5 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर है: आस्ति वित्त कंपनियों की हिस्सेदारी सर्वाधिक (45.5 प्रतिशत) रही है। पूर्ण जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

## VI. अनुसंधान

### रिज़र्व बैंक समसामयिक पत्रों का प्रकाशन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 जुलाई 2020 का अपने समसामयिक पत्रों के खंड 41 संख्या 1 को जारी किया। यह कर्मचारियों के योगदान वाली एक शोध पत्रिका है। इस अंक में तीन लेख और दो पुस्तक समीक्षाएं हैं।

**लेख:**

*भारत में मुद्रा की मांग का प्रतिरूपण (मोडेलिंग) और पूर्वानुमान: हेटेरोडॉक्स दृष्टिकोण:*

इस लेख में, डॉ.जनक राज, श्री इंद्रनील भट्टाचार्य, समीर रंजन बेहरा, जोइस जॉन और भीमप्पा अर्जुन तलवार भारत में मुद्रा की मांग का पूर्वानुमान और विश्लेषण करने हेतु कई समय श्रृंखला और अर्थमितीय तकनीकों का उपयोग करते हैं। पूर्ण लेख को पढ़ने के लिए,कृपया यहां क्लिक करें।

*उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कीमतों का पास-थ्रू: एक पुनर्विचार*

इस लेख में, श्री सत्यानंद साहू, सुजीश कुमार और सुश्री बरखा गुप्ता ने उभरती वैश्विक बाजार में वैश्विक खाद्य की कीमतों से घरेलू खाद्य कीमतों के बीच पास-थ्रू की फिर से जांच की है। पूर्ण लेख को पढ़ने के लिए,कृपया यहां क्लिक करें।

*भारत में उत्पादकता के रुझान और गतिशीलता: क्षेत्रीय विश्लेषण*

इस लेख में, श्री सार्थक गुलाटी, उत्सव सक्सेना, अवधेश कुमार शुक्ला, वी. धन्या और थांगज़ासन सोना ने भारत केएलईएमएस डेटाबेस का उपयोग करते हुए कुल कारक उत्पादकता (टीएफ़पी) का विस्तृत क्षेत्रीय विश्लेषण किया। पूर्ण लेख को पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

### आरबीआई वर्किंग पेपर श्रृंखला

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2020 में अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्किंग पेपर श्रृंखला के तहत दो वर्किंग पेपर रखे। पहला वर्किंग पेपर, जिसका शीर्षक फर्म के निवेश पर लीवरेज का प्रभाव: भारतीय अनुभव को डिकोड करना है। इस पेपर के लेखक अवधेश कुमार शुक्ला और तारा शंकर शॉ हैं। यह पेपर भारत में फर्मों के लीवरेज और उनके निवेश व्यवहार के बीच संबंध पर केंद्रित है। अनुभवजन्य परिणाम बताते हैं कि फर्म-स्तरीय लीवरेज, निवेश चक्र की गतिविधियों के संबंध में शुरुआती संकेत प्रदान कर सकता है। पूर्ण पेपर पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

दूसरा वर्किंग पेपर, जिसका शीर्षक भारत में अधीनस्थ सरकार की ऋण स्थिरता: एक अनुभवजन्य विश्लेषण है। इस पेपर के लेखक संगीता मिश्रा, किर्ती गुप्ता और पुष्पा त्रिवेदी हैं। यह पेपर भारतीय राज्यों के लिए ऋण की स्थिरता का आकलन करता है। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) जैसी योजनाओं के कारण होनेवाले वित्तीय झटकों ने राजकोषीय दबाव को बढ़ा दिया है, जिससे समय-समय पर राज्यों की ऋण गतिशीलता बिगड़ गई है। पूर्ण पेपर पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

### रिज़र्व बैंक ने फेम बुकलेट जारी की

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय सेवा परिदृश्य में उभरते हुए विकास को ध्यान में रखते हुए वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका का तीसरा संस्करण निकाला। अद्यतन फेम बुकलेट में चार विषयों में 20 महत्वपूर्ण संदेश शामिल हैं, अर्थात् वित्तीय दक्षताओं, बुनियादी बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण। वित्तीय जागरूकता के लिए मानकीकृत सामग्री विकसित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2016 में 12 संदेशों के साथ वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका विकसित की थी। फेम बुकलेट का दूसरा संस्करण मार्च 2017 में जारी किया गया था। रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अद्यतन फेम पुस्तिका को पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

**योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग,** केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।